रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 756] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 29, 2016/चैत्र 9, 1938
No. 756] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 29, 2016/CHAITRA 9, 1938

IndiaCode

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2016

का.आ. 1227 (अ).- कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को 29 अगस्त, 2013 को राष्ट्रपति की सम्मति प्राप्त हुई थी और उसकी धारा 1 उसी तारीख से प्रवृत्त हुई;

और, उक्त अधिनियम की धारा 133 यह उपबंध करती है कि केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण से परामर्श करके और उसकी सिफारिशों की जांच के पश्चात् चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा यथा सिफारिश किए गए लेखामानक अथवा उसकी युक्तिकाएं विहित कर सकती है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 133 दिनांक 12 सितंबर, 2013 को प्रवृत्त हुई;

और, उक्त अधिनियम की धारा 132, जिसमें राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अपील प्राधिकरण के गठन, कार्यों आदि का उपबंध है, अभी प्रवृत्त नहीं किया गया है और उक्त धारा के प्रवृत्त होने में कुछ समय लग सकता है;

और, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 110 के अधीन गठित लेखा मानकों संबंधी राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति के लिए कंपनियों अथवा कंपनियों की श्रेणी द्वारा अपनाए जाने हेतु लेखा नीतियां और लेखा मानक तैयार और स्थापित करने पर केन्द्रीय सरकार को परामर्श देने का उपबंध करती है;

और, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 211 की उप-धारा (3ग), जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 133 की तत्स्थानी है, में यह उपबंध है कि "लेखामानक" पद से चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अधीन गठित भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा सिफारिश किए गए लेखामानक अभिप्रेत है, जो धारा 210 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित लेखामानकों संबंधी राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं;

और, धारा 133 के उपबंधों के अनुपालन के संबंध में कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं जहां तक उनका संबंध उक्त अधिनियम की धारा 132 के अधीन राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के गठन हो जाने तक उससे परामर्श करने से है;

और, केन्द्रीय सरकार ने, लेखामानकों संबंधी राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों के आधार पर कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 जारी किए हैं जो 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उपखंड (i), तारीख 19 फरवरी, 2015 में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.111(अ), तारीख 16 फरवरी, 2015 द्वारा प्रकाशित हुआ;

अब, इसलिए केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 470 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात् –

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .-**(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कंपनी (कठिनाइयां दूर करना) दूसरा आदेश, 2016 है।

(2) यह आदेश 01 अप्रैल, 2015 से लागू हुआ माना जाएगा।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 135 में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् –

"परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 132 के अधीन राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण गठित होने तक कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210क के अधीन गठित लेखामानकों संबंधी राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति से परामर्श करके और उसकी अनुसंशाओं की जांच के पश्चात् चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा यथाअनुसंशित लेखामानक अथवा उसकी युक्तिकाएं विहित कर सकती है।"

[फा.सं.17/45/2015-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 29th March, 2016

S.O. 1227(E). – Whereas, the Companies Act, 2013 (18 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act) received the assent of the President on 29th August, 2013 and section 1 thereof came into force on the same date;

And, whereas, section 133 provides that the Central Government may prescribe the standards of accounting or any addendum thereto, as recommended by the Institute of Chartered Accountants of India, constituted under section 3 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), in consultation with and after examination of the recommendations made by the National Financial Reporting Authority;

And, whereas, section 133 of the said Act, has come into force with effect from 12th September, 2013;

And, whereas, section 132 of the said Act, which provides for constitution, functions etc. of the National Financial Reporting Authority and National Financial Reporting Appellate Authority, has not been brought into force and it may take some time to bring said section into force;

And, whereas, the National Advisory Committee on Accounting Standards, constituted under section 210A of the Companies Act, 1956 provides for advising the Central Government on the formulation and laying down of accounting policies and accounting standards for adoption by companies or class of companies;

And, whereas, sub-section (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) which corresponds to section 133 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) provides that the expression "accounting standards" means the standards of accounting recommended by the Institute of Chartered Accountants of India constituted under the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), as may be prescribed by the Central Government in consultation with the National Advisory Committee on Accounting Standards established under sub-section (1) of section 210A;

And, whereas, difficulties have arisen regarding compliance with the provisions of section 133 in so far as they relate to consultation with National Financial Reporting Authority till the period it is duly constituted under section 132 of the said Act;

And, whereas, on the basis of the recommendations of the National Advisory Committee on Accounting Standards, the Central Government issued the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 with effect from 1st April, 2015 vide notification number G.S.R. 111(E) dated the 16th February, 2015 published in the Gazette in India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated the 19th February, 2015;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 470 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following Order to remove the above said difficulties, namely:-

1**. Short title and commencement.-** (1) This Order may be called the Companies (Removal of Difficulties) Second Order, 2016.

(2) It shall be deemed to have come into force from the 1st April, 2015.

2. In section 133 of the Companies Act, 2013 (herein after referred to as the said Act), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that until the National Financial Reporting Authority is constituted under section 132 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government may prescribe the standards of accounting or any addendum thereto, as recommended by the Institute of Chartered Accountants of India, constituted under section 3 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), in consultation with and after examination of the recommendations made by National Advisory Committee on Accounting Standards constituted under section 210 A of the Companies Act, 1956".

[F. No. 17/45/2015-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.